भरण-पोषण व सुरक्षा अधिनियम लागू

माता-पिता की उपेक्षा पड़ेगी भारी

संवाददाता ■ पटना

माता-पिता सहित अन्य बुजुर्गों के भरण-पोषण व सुरक्षा अधिनियम राज्य में लागू कर दिया गया है. इसके लिए समाज कल्याण विभाग ने अधिसूचना जारी की. धोखा देकर या बहला-फुसला कर माता-पिता की संपत्ति अपने नाम करा ली और सेवा नहीं की, तो शिकायत व जांच के आधार पर चल-अचल संपत्ति माता-पिता को कानूनी तौर वापस कर दी जायेगी. नयी नियमावली में यह प्रावधान किया गया है. नयी नियमावली लगभग तैयार है. कैबिनेट की मंजूरी के बाद इसे जल्द लागू किया जायेगा.

शिकायत होगी दर्ज

माता-पिता और वरिष्ठ नागरिकों के भरण-पोषण एवं कल्याण अधिनियम, 2007 के आधार पर राज्य में नयी नियमावली बनायी गयी है. बेटा-बेटी या पोता-पोती की आय पर तय किया जायेगा कि उनके आश्रित बुजुर्ग को साथ नहीं रखने और अवहेलना करने पर मासिक कितना भुगतान करना होगा. 60 वर्ष से अधिक उम्र के बुजुर्ग या लाचार, अपंग मां-बाप या आश्रित भरण-पोषण नहीं करने के मामले की शिकायत अनुमंडलाधिकारी के पास दर्ज करा सकते हैं. अनुमंडलाधिकारी प्राथमिकता से मामले का निबटारा करेंगे. भरण-पोषण अधिकारी के तौर पर जिला कल्याण पदाधिकारी कार्य करेंगे. हर जिले में बुजुर्गों की देखभाल के मामले की सुनवाई के लिए न्यायिक अधिकरण का गठन होगा. इसका अध्यक्ष जिला मजिस्ट्रेट स्तर से नीचे के अधिकारी नहीं होंगे. दोनों पक्षों की बात सुनने के बाद ही अंतिम निर्णय दिया जायेगा.

- अधिसूचना जारी
- नियमावली तैयार, कैबिनेट से स्वीकृति के बाद लागू होगी
- केंद्र सरकार के निर्देश पर तैयार की गयी नियमावली
- सेवा नहीं करने पर माता-पिता की पैतृक संपत्ति बेटा-बेटी से वापस ले ली जायेगी
- जिला कल्याण पदाधिकारी होंगे भरण-पोषण अधिकारी

माता-पिता के भरण-पोषण एवं सुरक्षा संबंधी अधिसूचना जारी कर दी गयी है. नयी नियमावली भी जल्द लागू कर दी जायेगी. बेटा-बेटी या परिजनों द्वारा माता-पिता या संबंधी बुजुर्ग की संपत्ति धोखे या बहला-फुसला कर अपने नाम करा लिया गया हो, बावजूद भरण-पोषण की जिम्मेवारी नहीं निभाये, तो संपत्ति माता-पिता को वापस हो जायेगी.

परवीन अमानुल्लाह, समाज कल्याण मंत्री